रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092026-276099
CG-DL-E-10092026-276099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 712]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948
No. 712]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 780(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आकाशवाणी (वर्ग II पद) भर्ती नियम, 1962, और आकाशवाणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ अभियांत्रिकी सहायक और अभियांत्रिकी सहायक के पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में कनिष्ठ प्रसारण अभियांता (समूह 'ख') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कनिष्ठ प्रसारण अभियंता, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – वह व्यक्ति-**

(क) जिसने, ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने ,अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कनिष्ठ प्रसारण अभियंता	लागू नहीं होता ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400)	चयन पद।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
7.	8.	9.	10.
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11.	12.	13.
प्रोन्नति: संबंधित पदों के लिए प्रसार भारती के विनियमों के निबंधनों में विहित प्रोन्नति कोटा से 40 प्रतिशत चिन्हित रिक्तियां प्रतिनियुक्ति पर मानी जाएगी। वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35,400–1,12,400) में ऐसे ज्येष्ठ प्रसारण तकनीशियन, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और आकाशवाणी या दूरदर्शन में सुचारु प्रसारण या टेलिविजन प्रसारण के लिए प्रयुक्त तकनीकी अवसंरचना की स्थापना और संचालन और अनुरक्षण संबंधी तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा :** संबंधित पदों के लिए प्रसार भारती के विनियमों के निबंधनों में विहित प्रोन्नति कोटा से 60 प्रतिशत चिन्हित रिक्तियां प्रतिनियुक्ति पर मानी जाएगी। वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35,400–1,12,400) में ऐसे ज्येष्ठ प्रसारण तकनीशियन, जिन्होंने सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 2.5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	**प्रोन्नति के लिए** अपर महानिदेशक (अभियांत्रिकी), जो निगम में प्रतिनियुक्त पर माने गए हों -अध्यक्ष; उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) या निदेशक (अभियांत्रिकी), जो निगम में प्रतिनियुक्ति पर माने गए हों – सदस्य; प्रशासन के उप निदेशक या अभियांत्रिकी – सदस्य। **पुष्टि के लिए :** चूँकि इस पद के लिए परिवीक्षा अवधि नहीं है, अतः पुष्टि समिति की आवश्यकता नहीं है।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 501/2/2011-बीएई]

पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:-

1. ये नियम सभी कनिष्ठ प्रसारण अभियंता और उनके फीडर कैडरों की उन सरकारी सेवकों की अधिवर्षिता पर विद्यमान नहीं रहेंगे, जो निगम में प्रतिनियुक्ति पर माने गए हैं और 01.04.2000 से पूर्व भर्ती किए गए हैं।

2. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि कनिष्ठ प्रसारण अभियंता के विलय किए गए पद के लिए ये भर्ती नियम अनन्य रूप से 01.04.2000 से पहले भर्ती किए गए कर्मचारियों अर्थात प्रसार भारती में प्रतिनियुक्ति पर माने गए सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2026

G.S.R. 780(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 and All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1979 in so far as they relate to the posts of Senior Engineering Assistant and Engineering Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Broadcast Engineer in Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Group 'B') under the Ministry of Information and Broadcasting, namely: –

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Junior Broadcast Engineer, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix**. – The number of post, its classification and level in the pay matrix relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** . – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification:** No Person –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**. –Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Broadcast Engineer.	Not applicable.	General Central Service, Group B, Non Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: 40 per cent. of the vacancies earmarked to deemed deputationists from the promotion quota prescribed in terms of Prasar Bharati regulations for the respective posts. Senior Broadcast Technician in level 6 in the pay matrix (Rs.35400 -112400) with five years of regular service in the grade and have successfully completed three weeks of training in installation or operations and maintenance of technical infra used for smooth Broadcasting or Telecasting in Akashvani or Doordarshan. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility	**For promotion:** 1. Additional Director General (Engineering) on deemed deputation to the Corporation – Chairperson; 2. Deputy Director General (Engineering) or Director (Engineering) on deemed deputation to the Corporation – Member; 3. Deputy Director of Administration or Engineering - Member. **For confirmation:** Since there is no probation, Confirmation Committee is not required.	Not applicable.

service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By Limited Departmental Competitive Examination (LDCE)** 60 per cent. of the vacancies earmarked to deemed deputationists from the promotion quota prescribed in terms of Prasar Bharati regulations for the respective posts. Senior Broadcast Technician in level 6 in the pay matrix (Rs.35400 -112400) with 2.5 years of regular service on the basis of LDCE.		

[F. No. 501/02/2011-BAE]

PRITHUL KUMAR, Jt. Secy.

Note: –

1. These rules shall cease to exist on superannuation of all Junior Broadcast Engineer and its feeder Cadres from the Government servants who are on deemed deputation to the Corporation and recruited prior to 01.04.2000.
2. Not with standing anything contained in these rules, it is hereby clarified that these recruitment rules for the merged post of Junior Broadcast Engineer shall apply exclusively to the employees recruited prior to 01.04.2000, *i.e.*, Government employees on deemed deputation to the Prasar Bharati.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.09.10 14:56:55 +05'30'